प्रेस नोट 01/11/2023

दिनांक 31.10.2023 को थाना रानीपुर क्षेत्रान्र्तगत हर्ष फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से लाइसेंसी रिवाल्वर व खोखा/जिंदा कारतूस बरामद–

आज दिनांक 01.11.2023 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दौलसेपुर मोड़ से, दौलसेपुर में बारात जाने की तैयारी के दौरान हुयी हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति के गम्भीर रुप से घायल हो जाने मामले में पंजीकृत मु0अ0सं0 171/23 धारा 307 भादवि में वांछित अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्रीपत निवासी दौलसेपुर थाना रानीपुर मऊ के कब्जे से एक लाइसेंसी रिवाल्वर व 01 खोखा तथा 05 जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया है तथा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना नही दी गई थी परन्तु जिला अस्पताल पुलिस चौकी पर उपस्थित सतर्क पुलिसकर्मियों द्वारा यह देखे जाने पर कि एक व्यक्ति गोली लगी अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुआ है, जिस पर तत्काल उक्त के सम्बन्ध में जानकारी करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है।

गोवध निवारण के क्रम में 03 गौ–तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से एक मैजिक वाहन में 05 राशि गोवंश बरामद–

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनांक 31.10.2023 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर डांडी तिराहा के पास से चेकिंग के दौरान एक मैजिक वाहन (यूपी60बीटी2314) में क्रूरतापूर्वक लदे 05 राशि गोवंश (03 राशि गाय व 02 राशि बछिया) बरामद कर तीन व्यक्तियों क्रमशः सतीश चौहान पुत्र हरिहर निवासी गायघाट किशुनपुरा थाना रेवती जनपद बलिया, श्रवण कन्नौजिय पुत्र लालचंद व मनोज वर्मा पुत्र हरिनरायण निवासीगण सिसवार खुर्द थाना रसड़ा बलिया को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 295/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवा0 अधि0 के अन्र्तगत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

प्रत्येक वर्ष की भांति नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाये जाने के क्रम में आज दिनांक 01.11.2023 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय द्वारा गाजीपुर तिराहे से "यातायात माह–नवम्बर 2023" का शुभारम्भ किया गया तथा हरी झण्डी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सम्बोधित करते हुये यातायात के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराया गया। यातायात व्यवस्था में बाधक तथा दुर्घटनाओं को हम कैसे कम कर सकते हैं जैसे सड़क पर अतिक्रमण न करें, सडक पर वाहनों को न खड़ा करें, हेलमेट तथा सीट बेल्ट अवश्य लगायें, यातायात नियमों पालन अवश्य करें इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुये सभी का जागरुक किया गया तथा अपने परिवार एवं अन्य लोगों को जागरुक करने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री, सिटी मजिस्ट्रेट, एआरटीओ, एआरएम, ईओ नगरपालिका, ट्रान्सपोर्ट एवं टैक्सी यूनियन के पदाधिकारीगण, भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार बन्धु एवं पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।